प्रखंडों में खुलेंगे इंदिरा आवास काउंटर

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

इंदिरा आवास योजना में लाभुकों के घर समय पर बनवाने के लिए दूसरी किस्त के रुपए समय पर जारी करने के खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब सभी प्रखंडों में आरटीपीएस (सेवा का अधिकार कानून) काउंटर के बगल में एक इंदिरा आवास काउंटर खोला जाएगा।

इन काउंटरों को 15 नवम्बर से पहले सभी प्रखंडों में हर हाल में खोल दिया जाएगा। अगर किसी प्रखंड में इस तारीख तक काउंटर नहीं खुले, तो वहां के बीडीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन काउंटरों पर एक कम्प्यूटर होगा। इन्हें संभालने की जिम्मेवारी प्रखंडों में तैनात ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक सहायकों पर होगी। किसी एक कार्यपालक सहायक को यहां तैनात किया जाएगा।

आवेदन करने के 15 दिन में देने होंगे रुपए : इस काउंटर में लाभुक को दूसरी किस्त या अन्य किस्त पाने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद लाभुक को तिथि युक्त प्राप्ति रसीद मिलेगा। आवेदन करने की तारीख से 15 दिनों के अंदर लाभुक को किस्त के रुपए हर हाल में देने होंगे। ये रुपए लाभुक के बैंक खाते में आरटीपीएस के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। यह व्यवस्था आरटीपीएस की तर्ज पर ही लागू होगी। इस मामले में विभागीय सचिव अमृत लाल मीणा का कहना है कि रुपए देने की इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी डीएम और संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। अगर निर्धारित समय के अंदर यह व्यवस्था शुरू नहीं होती है, तो बीडीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसक्यूएम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों की करेंगे जांच

राज्य में मनरेगा के कार्यों की गहन समीक्षा करने के लिए पंचायत स्तर पर स्टेट क्वालिटी मॉनिटर (एसक्यूएम) टीम जाएगी। ये एसक्यूएम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों की जांच करेंगे और गड़बड़ी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेंगे। राज्य में पहली बार बहाल किए गए एसक्यूएम को इस काम में लगाया जा रहा है। इन्हें मनरेगा की तमाम नीतियों और बारीकियों की जानकारी देने के लिए सचिवालय स्थित उद्योग विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।